वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 25.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, आज, भारत एकता टाइम्स, ज्ञानशिखा टाइम्स, जागरूक एक्स्प्रेस, न्यायाधीश, परफेक्ट मिशन," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 25.03.2025

वीडीए ने सील किए तीन अवैध निर्माण

जासं, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सोमवार को अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि भेलूपुर वार्ड के नवाबगंज में मोहम्मद बेलाल तीन मंजिल बनाने के साथ चौथे मंजिल पर शटरिंग कर रहे थे।

इसी वार्ड में अस्सी के पास दिनेश दीक्षित बेसमेंट का निर्माण कर भूतल पर पिलर की ढलाई कर रहे थे। दोनों निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। जोन एक के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा ने बताया कि शिवपुर वार्ड के दांदूपुर में धीरज सिंह बिना नक्शा पास कराए गरुड़ लान और बैंक्वेट हाल संचालित कर रहे थे।

उसे सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है। इसी वार्ड में उंदी 15000 वर्गमीटर में बिना ले-आउट पास कराए जमीन की अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। बुलडोजर से उसकी बाउंड्री तोड़ दी गई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज –दि0 25.03.2025

तीन नवनिर्माण भवन हुआ सील

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर सोमवार को वाराणसी जोन-४ में बिना मानचित्र स्वीकृति के हो रहे निर्माण को रोकने के बाद अभियंताओं ने सिलिंग की काररवाई की। भवन संख्या बी२६/२३० नवाबगंज के पास बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण किया जा रहा था। इसी प्रकार भवन संख्या बी १/१४८ में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण कराया जा रहा था। दोनों स्थानों पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता सोनू कुमार पहुंचकर भवन में कार्य कर रहे मिस्त्री और मजदूरों को हटाने बढ़ाने के बाद दोनों भवनों को सील करने के बाद निकटम थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। वाराणीस जोन एक वार्ड शिवपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार यह निर्माण बैंक्वेंट का हो रहा था। शिकायत के आधार पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्र, अवर अभियंता रोहित कुमार और प्रवर्तन दल की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को सील कर दिया और निकटम थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया।

भारत एकता टाइम्स –दि0 25.03.2025

दो बिल्डिंग-मैरिज लॉन सील

एक्शन

✡ वीडीए ने अस्सी- नवाबगंज और शिवपुर इलाके में अवैध निर्माण पर की कार्रवाई

भारत एकता टाइम्सं/वाराणसी

विकास प्राधिकरण की बिना मानचित्र भवन का स्वीकृत कराए भवनों का निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोमवार को शहर के अस्सी और नवाबगंज इलाके में वीडीए की टीम ने दो निमार्णाधीन बिल्डिंग और दादूपुर में एक मैरिज लॉन को सील कर दियाऔर पुलिस की निगरानी में उसे सौंप दिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में भेलूपुर थाना क्षेत्र के अस्सी इलाके पहुंची। स्थानीय निवासी मोहम्मद बेलाल बिना नक्शा पास कराए तीन मंजिला भवन का निर्माण करा रहे थे। वीडीए ने निर्माण कार्य रोकने के साथ ही बिल्डिंग को सील कर दिया और पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के ही नवाबगंज इलाके में दिनेश दीक्षित 400

स्क्वायर फीट में बेसमेंट के निर्माण के बाद प्रथम तल का निर्माण करा थे। निर्माण के बाबत नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। वीडीए ने भवन को सील करने के साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शिवपुर थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर दादूपुर में वीडीए की टीम ने गरुण लॉने और उसमें बने बैंक्विट हाल को सील कर दिया। वीडीए ने लॉन संचालक धीरज सिंह को अवैध निर्माण पर नोटिस भी थमाई थी। वीडीए के प्रवर्तन दल ने कार्रवाई के बाद लॉन को लोकल पुलिस के हवाले कर दिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण के सचिव डॉ वेदप्रकाश मिश्रा ने सभी जोनल अधिकारी और कार्मिकों को चेतावनी दी है कि जिन निर्माण को सील किया गया है।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 25.03.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी । विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन–4, वार्ड–नगवां/भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया ।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार,अवर अभियंता सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही । जोन–4 में श्री मोहम्मद बेलाल, द्वारा भवन सख्या–सं0–बी0–26/230, नवाबगंज के पास,वार्ड–भेलूपुर, में लगभग 800 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी +2 तलों की छत ढलाई पूर्ण कर तृतीय तल पर शटरिंग आदि का कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन–4 में श्री दिनेश दीक्षित, द्वारा भवन सख्या–सं0–बी0–1/148, अस्सी, वार्ड –भेलूपुर, 400 वर्गफीट क्षेत्रफल में बेसमेंट का निर्माण कर भू – तल कालम पर बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

जागरूक एक्सप्रेस –दि0 25.03.2025

वीडीए ने अस्सी, नवाबगंज व शिवपुर में अवैध निर्माण पर की कार्रवाई

जिला प्रतिनिधि

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की बिना मानचित्र भवन का स्वीकृत कराए भवनों का निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सोमवार को शहर के अस्सी और नवाबगंज इलाके में वीडीए की टीम ने दो निमार्णाधीन बिल्डिंग और दादूपुर में एक मैरिज लॉन को सील कर दियाऔर पुलिस की निगरानी में उसे सौंप दिया। वाराणसी विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में भेलूपुर थाना क्षेत्र के अस्सी इलाके पहुंची। स्थानीय निवासी मोहम्मद बेलाल बिना नक्शा पास कराए तीन मंजिला भवन का निर्माण करा रहे थे। वीडीए ने निर्माण कार्य रोकने के साथ ही बिल्डिंग को सील कर दिया और पुलिस की अभिरक्षा में दे दिया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के ही नवाबगंज इलाके में

दिनेश दीक्षित 400 स्क्वायर फीट में बेसमेंट के निर्माण के बाद प्रथम तल का निर्माण करा थे। निर्माण के बाबत नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। वीडीए ने भवन को सील करने के साथ ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शिवपुर थाना क्षेत्र में रिंग रोड पर दादूपुर में वीडीए की टीम ने गरुण लॉन और उसमें बने बैंक्विट हाल को सील कर दिया। वीडीए ने लॉन संचालक धीरज सिंह को अवैध निर्माण पर नोटिस भी थमाई थी। वीडीए के प्रवर्तन दल ने कार्रवाई के बाद लॉन को लोकल पुलिस के हवाले कर दिया।

न्यायाधीश –दि0 25.03.2025

वाविप्रा जोन-1 ने की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- शिवपुर के अन्तर्गत अज्ञात, द्वारा मौजा-उंदी में लगभग 15000 वर्गमीटर में की अवैध प्लाटिंग बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी,उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 24.03.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री शिवाजी मिश्रा व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 25.03.2025

वीडीए जोन-4 ने की सीलबन्दी कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड-नगवां/भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार,अवर अभियंता सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही । सील किये गये निर्माणी का विवरण निमन्वत हैः जोन-4 में मोहम्मद बेलाल, द्वारा भवन सख्या-सं0-बी0-26/230, नवाबगंज के पास,वार्ड-भेलूपुर, में लगभग 800 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+2 तलों की छत ढलाई पूर्ण कर तृतीय तल पर शटरिंग आदि का कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-4 में दिनेश दीक्षित, द्वारा भवन सख्या-सं0-बी0-1/148, अस्सी, वार्ड -भेलूपुर, 400 वर्गफीट क्षेत्रफल में बेसमेंट का निर्माण कर भू - तल कालम पर बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 25.03.2025

वाविप्रा जोन-1 ने की अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 वार्ड- शिवपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड- शिवपुर के अंतर्गत धीरज सिंह, द्वारा गरुड़ लान, दान्दुपुर, रिंगरोड के पास जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 18*21 वर्गमीटर के क्षेत्र में भूतल पर निर्माण कर गरुड़ लॉन एवं बैंक्वेट हाल संचालन किये जाने पर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी थी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया। मौके पर जोनल अधिकारी शिवा जी मिश्रा, रोहित कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश –दि0 25.03.2025

वीडीए जोन-4 ने की सीलबन्दी कार्यवाही

वाराणसी।उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4, वार्ड- नगवां/भेलूपुर के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी और सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार,अवर अभियंता सोनू कुमार प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। सील किये गये निर्माणी का विवरण निमन्वत हैः जोन-4 में मोहम्मद बेलाल, द्वारा भवन सख्या-सं0-बी0-26/230, नवाबगंज के पास,वार्ड-भेलूपुर, में लगभग 800 वर्गफीट के क्षेत्रफल में जी+2 तलों की छत ढलाई पूर्ण कर तृतीय तल पर शटरिंग आदि का कार्य बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-4 में दिनेश दीक्षित, द्वारा भवन सख्या-सं0-बी0-1/148, अस्सी, वार्ड -भेलूपुर, 400 वर्गफीट क्षेत्रफल में बेसमेंट का निर्माण कर भू - तल कालम पर बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्माण कार्य किये जाने पर अवैध निर्माण को सील किया गया उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश –दि0 25.03.2025

सचिव वाविप्रा द्वारा विभिन्न जोनों के साप्ताहिक कार्यों की समीक्षा की गयी

वाराणसी। प्राधिकरण सभागार में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन.3 वार्ड.दशाश्वमेध चेतगंज चौक व कोतवाली जोन.4 ;भेलूपुर व नगवां जोन.5 ;रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति ;11.03.2025 से 23.03.2025 तक कार्यों की समीक्षा की गयी। जोन.3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति अवर अभियन्ता राजू कुमार जोन.4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं जोन.5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे।उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र स्वीकृत शमन मानचित्र तावान शमन शुल्क की वसूली पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चाए अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल डीजल सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही विन्यास व भवन ;वार्ड के टॉप.10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन.3 द्वारा कुल 12 जोन.4 द्वारा कुल 00 व जोन.5 द्वारा कुल 03 इस प्रकार कुल 15 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन.3 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 98.45.033.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ

परफेक्ट मिशन –दि0 25.03.2025

वीडीए सचिव ने जोनवार की समीक्षा बैठक, जानी प्रगति

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। प्राधिकरण सभागार में सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा जोन-3 वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक व कोतवाली, जोन-4 भेलूपुर व नगवां, जोन-5 रामनगर व मुगलसराय का साप्ताहिक कार्यों के प्रगति 11 मार्च से 23 मार्च तक के कार्यों की प्रगति के सम्बन्ध में सोमवार को समीक्षा की गयी।

जोन-3 के जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियन्ता राजू कुमार, जोन-4 के जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियन्ता आदर्श निराला एवं जोन-5 के जोनल अधिकारी सिंह गौरव जय प्रकाश, अवर अभियन्ता अशोक कुमार यादव व मुख्य भवन लिपिक, विन्यास लिपिक एवं अन्य लिपिक उपस्थित रहे उक्त समीक्षा बैठक में आलोच्य अवधि में जमा शमन मानचित्र, स्वीकृत शमन मानचित्र, तावान / शमन शुल्क की वसूली, आई जी आर एस पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों पर असन्तुष्ट प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा, अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही, अनाधिकृत रूप से संचालित पेट्रोल / डीजल/सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशनों के विरूद्ध कार्यवाही, विन्यास व भवन वार्ड के टॉप-10 बकायेदारों आदि मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी। आलोच्य अवधि में जोन-3 द्वारा कुल 12, जोन-4 द्वारा कुल 00 व जोन-5 द्वारा कुल 03 इस प्रकार कुल 15 शमन मानचित्र स्वीकृत किया गया। आलोच्य अवधि में जोन-3, 4 व 5 द्वारा शमन शुल्क के मद में कुल रु0 98,45,033.00 प्राधिकरण कोष में जमा हुआ।